दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/065

दिनांक: 16.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर, विदेशी बंदरगाहों पर उतारे गए और बाद में भारत को लौटाए गए निर्यात कार्गो कंटेनरों को संभालने की प्रक्रिया - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 21/2026 दिनांक 15.04.2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान को देखते हुए, विदेशी बंदरगाहों पर उतारे गए और बाद में भारत को लौटाए गए निर्यात कार्गो कंटेनरों को संभालने की प्रक्रिया के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

व्यापार को सुगम बनाने और ऐसे माल की शीघ्रता से ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है:

1. **एसएएम जमा करना**
   • शिपिंग लाइनें या अधिकृत प्रतिनिधि एसएएम दाखिल करें, क्योंकि माल उतारने और वापस लौटने पर पोत, प्रेषक-प्राप्तकर्ता और बिल ऑफ लैडिंग के विवरण बदल जाते हैं।
2. **सील सत्यापन**
   • कंटेनर का विवरण शिपिंग बिल से मेल खाना चाहिए। आरएफआईडी/स्व-सीलबंद कंटेनरों के लिए, घोषित विवरणों के आधार पर सील की अखंडता की जांच की जानी चाहिए।
   • आरएफआईडी या कस्टम बोतल सील वाले सीएफएस/आईसीडी से भरे कंटेनरों के लिए, फील्ड फॉर्मेशन को सील के विवरण को सत्यापित करने के लिए डीजी सिस्टम्स के साथ समन्वय करना होगा।
3. **प्रविष्टि बिल दाखिल करने में छूट**
   • यदि सील की अखंडता बरकरार है और सत्यापित हो चुकी है, तो प्रवेश बिल दाखिल किए बिना भी कंटेनरों को बंदरगाह टर्मिनलों पर उतारा जा सकता है।
4. **शिपिंग बिल रद्द करना**
   • शिपिंग बिल/एलईओ को रद्द करने के लिए ईडीआई सिस्टम में "पोस्ट ईजीएम एसबी कैंसलेशन" मॉड्यूल का उपयोग करें।
5. **शहर लौटने की अनुमति**
   · पहले जारी किए गए परिपत्रों (09/2026, 10/2026, 12/2026, 15/2026, 19/2026) के अनुसार माल को शहर में वापस लाने की अनुमति दी जा सकती है।
6. **छेड़छाड़ की गई सील**
   • यदि सील के साथ छेड़छाड़ की गई है या वह सही सलामत नहीं है, तो कंटेनरों की 100% जांच की जानी चाहिए और पुनः आयात प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
7. **प्रोत्साहनों की वसूली**
   • यदि निर्यात प्रोत्साहन (आईजीएसटी, ड्रॉबैक आदि) पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, तो फील्ड इकाइयों को उन्हें वापस प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त छूट 30.04.2026 तक लागू रहेगी ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत परिपत्र को यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260416114021.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है ।

साभार
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल